

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

धारा — 107 दं०प्र०सं०
वाद सं०— 152/2021-22

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 30/9/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी संख्या 12/2022 दिनांक 17.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) किनु महतो उम्र करीब 32 वर्ष, पिता— करिया महतो सा०— कोनबीर थाना—बसिया, जिला— गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) जगेश्वर महतो उम्र करीब 45 वर्ष पिता— स्व० प्रसाद महतो (2) चमरु महतो उम्र करीब 60 वर्ष, पिता— स्व० फागु महतो, (3) महजर महतो उम्र करीब 38 वर्ष पिता— स्व० प्रसाद महतो ग्राम— कोनबीर थाना— बसिया, जिला— गुमला के बीच मौजा— कोनबीर खाता सं० 38 प्लॉट 132 एवं 133 कुल रकबा 0.03 एकड़ विवाद को लेकर किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं कारण वृच्छा दाखिल किये हैं। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी, बसिया या अन्य स्त्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की कार्रवाई की समय अवधि हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच शांति भंग नहीं होने की सूचना एवं वाद की समय अवधिक समाप्त होने कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकार, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	